# उत्तर प्रदेश शासन
## राज्य कर अनुभाग-2
## संख्या-494/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(184)-2021
## लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2021

# अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचनासं0-क0नि0-2-838/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(08)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:–

(i) उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, प्रथम परंतुक में, सारणी क्रम संख्या 2 के पश्चात, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "3 | करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हों | नियत तारीख के पश्चात प्रथम पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, तत्पश्चात 18 प्रतिशत | मार्च, 2021,<br>अप्रैल, 2021 |
| 4 | करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) केअधीन यथाविर्निदिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं | नियत तारीख के पश्चात प्रथम पंद्रह दिन के लिये शून्य, तत्पश्चात अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च, 2021 ,<br>अप्रैल, 2021 |
| 5 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविर्निदिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं | नियत तारीख के पश्चात प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात 18 प्रतिशत | मार्च, 2021,<br>अप्रैल, 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | करदाता, जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन यथाविर्निदिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के पश्चात प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात 18 प्रतिशत | तिमाही जो मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है ।" |

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव